कार्यालय आयुक्त,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्य प्रदेश

क्र./पीएमएस–आईटी/MPTAAS/187/2021–22/6590 भोपाल, दिनांक 29/12/2021

प्रति,

समस्त सहायक संचालक,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
जिला– समस्त (म.प्र.)।

विषय– विभागीय योजनाओं में लाभ लेने हेतु नए सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 'हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण' के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

––00––

निकट भविष्य में विभाग की योजनाओं में, निर्माणाधीन नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम समस्त हितग्राहियों को स्वयं का प्रोफाइल पंजीकरण करना होगा। यह पंजीयन हितग्राही द्वारा स्वयं, इन्टरनेट कीओस्क यथा एम पी ऑनलाइन (MP Online) लोक सेवा केन्द्र (MP Online)/नागरिक सुविधा केन्द्र (CSC) अथवा विभागीय अधिकारियों के माध्यम से किया जा सकेगा। यद्यपि यह एक सतत प्रक्रिया रहेगी तथापि वर्तमान में योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों का एक बार (One-time) पंजीयन एक निश्चित समय सीमा में करवाना विभागीय अधिकारियों का दायित्व रहेगा।

2. हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के समय हितग्राही को निम्नानुसार प्रमुख जानकारी की आवश्यकता होगी –

- आधार नंबर
- जाति प्रमाण–पत्र
- समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी

3. अपने कार्यक्षेत्र में 'हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण' प्रक्रिया सरलता पूर्वक पूर्ण हो इसके लिए आपके द्वारा निम्नानुसार दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए पूर्व तैयारी कर ली जाये–

3.1.1 आधार पंजीयन केन्द्र में हितग्राहियों के "आधार" (AADHAAR) हेतु पंजीकरण की कार्यवाही कराई जाये।

आवक क्र. 190
दिनांक 31-12-021

31/12/2021

3.1.2. जिन हितग्राहियों के पास पूर्व से "आधार" नंबर है, उनके "आधार" में हितग्राही का पूरा डाटा यथा सही नाम (हिन्दी एवं अंग्रजी), पूर्ण जन्म दिनांक (DD/MM/YYYY प्रारूप में) ,सही पता तथा वर्तमान मोबाइल नंबर अद्यतन कराने हेतु हितग्राहियों को सूचित किया जाये। "आधार" में हितग्राही की जानकारी को अद्यतन "आधार" पंजीयन केन्द्र के माध्यम से किया जा सकेगा।

3.1.3. निर्धारित प्रक्रिया के तहत हितग्राही को देय भुगतान उनके 'आधार" से लिंक बैंक खाते में सीधे संचालनालय स्थित नोडल बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। हितग्राही का बैंक खाता उसके "आधार" से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी "आधार" की वेबसाइट https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper से प्राप्त की जा सकती है। यदि हितग्राही का "आधार" बैंक खाते से लिंक नहीं है अथवा बैंक खाता गलत है तो ऐसी स्थिति में हितग्राही सम्बंधित बैंक/बैंक द्वारा अधिकृत कियोस्क अथवा प्रतिनिधि से संपर्क कर सकता है। एक संभावना है कि हितग्राही अपना "आधार" बैंक खाते से लिंक कराने हेतु अपने माता अथवा पिता के बैंक खाते की जानकारी देता है, ऐसी स्थिति में हितग्राही का "आधार", बैंक खाते से लिंक नहीं होसकेगा। तब बैंक द्वारा हितग्राही के "आधार" नंबर से जोड़कर उसका नवीन बैंक खाता खोलना होगा, जिससे हितग्राही का आधार नंबर उसके स्वयं के बैंक खाते से लिंक हो सके।

3.1.4. हितग्राही के बैंक खाते का "आधार"– "authentication" कराना होगा। बैंक खाते से "आधार" नम्बर को लिंक कराने के पश्चात हितग्राही को बैंक जाकर बायोमेट्रिक देकर "आधार"– "authentication" कराना होगा। इसे त्वरित गति से संपादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

3.2 जाति प्रमाण–पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करना –

3.2.1. समस्त हितग्राहियों के पास जाति प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है।

3.2.2. यथा संभव समस्त हितग्राहियों के पास ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र हो। हितग्राही के पास ई–डिस्ट्रिक्ट का डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र होने की स्थिति में प्रोफाइल पंजीकरण के समय किसी भी प्रकार के दस्तावेज/हार्डकॉपी की आवश्यकता नहीं होगी तथा हितग्राही के जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन अपने आप हो जाएगा।

3.2.3 स्कूल स्तर पर समस्त छात्र–छात्रा हितग्राहियों के पास ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र होना सुनिश्चित किया जाये। जाति प्रमाण–पत्र हेतु सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा निरन्तर विशेष अभियान चलाया जाता है एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश भी जारी किये जाते रहे है।

3.3. समग्र डाटाबेस में जानकारी को अद्यतन कराना –

3.3.1 प्रोफाइल पंजीकरण के समय हितग्राही की समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी की प्रविष्टि की जाना है।

3.3.2. "समग्र" डाटाबेस में समस्त हितग्राहियों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे हितग्राही का सही, नाम, परिवार मुखिया से सम्बन्ध, लिंग, पूर्ण जन्म दिनांक (DD/MM/YYYY प्रारूप में), जाति–उपजाति, विकलांगता स्थिति, माता–पिता का नाम, माता–पिता का व्यवसाय, बीपीएल स्थिति एवं छात्र–छात्राओं की शैक्षणिक जानकारी जैसे स्कूल का नाम, स्कूल का जिला/विकासखण्ड, DISE कोड, परीक्षा बोर्ड, शैक्षणिक वर्ष, कक्षा (पूर्व/वर्तमान), पाठ्यक्रम, स्थिति (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण), अंतिम परीक्षा प्रतिशत, स्कूल प्रबंधन कोड आदि का अद्यतन किया जाये (यदि आवश्यक हो तो)।

3.3.3. सबसे महत्वपूर्ण, समग्र डाटाबेस में "आधार" नंबर की प्रविष्टि करायी जाये।

3.3.4. "समग्र" में पंजीयन, व्यक्तिगत जानकारी का अद्यतन एवं "आधार" नंबर की प्रविष्टि "समग्र नागरिक सेवा पोर्टल" (http://samagra.gov.in/Citizen) के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही जिला प्रशासन के सहयोग से अनिवार्यता पूर्ण कराई जाए।

23/12/2021

(गोपाल चन्द्र डाड)
वि.क.अ. सह–आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ0क. / पीएमएस–आईटी / MPTAAS / 187 / 2021–22 /६५४। भोपाल, दिनांक 29|12|2021

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,स्टेट आईटी सेन्टर, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण मध्य प्रदेश भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी की जानकारी विभाग को प्रदान करे अथवा सक्षम अधिकारी नामांकित करने का कष्ट करें।
5. मिशन संचालक, सामाजिक न्याय संचालनालय भोपाल मध्यप्रदेश भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि समग्र में जानकारी अद्यतन कराने के सम्बन्ध में सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी की जानकारी विभाग को प्रदान करे अथवा सक्षम अधिकारी नामांकित करने का कष्ट करें।
6. कलेक्टर, जिला–समस्त (म.प्र.) की ओर "आधार" की जानकारी अद्यतन कराने, आधार में बैंक खाता लिंक कराने, समग्र में जानकारी अद्यतन कराने तथा स्कूल स्तर पर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से हितग्राहियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

29/12/2021

(गोपाल चन्द्र डाड)
वि.क.अ. सह–आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश